डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] रायपुर, सोमवार , दिनांक 5 मार्च 2001—फाल्गुन 14, शक 1922

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर

पॉपीस्ट्रा के थोक व फुटकर लायसेन्सों का नीलाम
वर्ष 2001-2002

रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2001

क्रमांक/पापीस्ट्रा/ठेका/2001-2002/507.—सर्वसाधारण की जानकारी तथा पापीस्ट्रा (डोडा चूरा) के थोक व फुटकर अनुज्ञाधारियों, विक्रेताओं की विशेष जानकारी के लिए राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि समूचे छत्तीसगढ़ में पापीस्ट्रा के थोक व फुटकर विक्रय लायसेन्स समूहों में तथा/अथवा पृथक-पृथक वर्ष 2001-2002 (अर्थात् 1 अप्रेल 2001 से 31 मार्च 2002) तक की अवधि के लिए संबंधित जिलों के कलेक्टरों द्वारा संलग्न तालिका में दर्शाए अनुसार तिथियों एवं स्थानों पर प्रात: 10.30 बजे से नीलाम किए जायेंगे, पर्याप्त बोली प्राप्त न होने पर आवश्यकतानुसार टेण्डर आमंत्रित किये जायेंगे. जो व्यक्ति नीलाम/टेण्डर में भाग लेना चाहे, वे नीलाम स्थल पर नियत नीलाम तिथि को उपस्थित होकर नियमानुसार बोली/टेण्डर दे सकते हैं. संबंधित नियमों तथा पापीस्ट्रा के थोक व फुटकर बिक्री के लायसेन्सों के स्थान आदि की जानकारी संबंधित सहायक आयुक्त, आबकारी/जिला आबकारी कार्यालय से अवकाश के दिनों को छोड़कर किसी भी दिन कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है, नीलाम की शर्तें एवं निर्बन्धन, नीलाम के समय नीलाम स्थल पर पढ़कर सुनाये जायेंगे. लायसेन्सों के नीलाम/टेण्डर की कार्यवाही यदि किसी कारणवश संलग्न तालिका में दर्शाये गये दिनांक/दिनांकों की दिवस/दिवसों को पूरी नहीं हुई तो नीलाम/टेण्डर की कार्यवाही उस जिले के कलेक्टर द्वारा घोषित किसी अन्य दिन की जा सकेगी. यह स्पष्ट किया जाता है कि टेण्डर आमंत्रित करने की कार्यवाही कलेक्टर द्वारा टेण्डर आमंत्रित करने का निर्णय लिये जाने की दशा में ही की जावेगी. नीलाम/टेण्डर की मुख्य शर्तें/निर्बन्ध नीचे दिये गये हैं, जो लागू होंगे :—

नीलाम/टेण्डर की शर्तें

1. **नीलाम स्थल में प्रवेश एवं प्रवेश के लिए शुल्क**—नीलाम स्थल में बोली/टेण्डर देने के लिये वे ही व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे जो नीलाम में भाग लेने के पात्र होंगे . नीलाम स्थल पर बोली/टेण्डर देने के प्रयोजन से प्रवेश करने वाले ऐसे व्यक्ति को 500/- (पांच सौ रुपये) प्रवेश शुल्क जिला आबकारी कार्यालय में जमा करना होगा, जिसकी उसे विधिवत् रसीद दी जावेगी तथा दो प्रवेश-पत्र दिये जावेंगे-एक उसके स्वयं के उपयोग के लिए

तथा एक उसके सहयोगी के लिए. बोली/टेण्डर देने वाले व्यक्ति को दिये जाने वाले लाल प्रवेश-पत्र पर नीलाम वर्ष, उसका नाम तथा जमा प्रवेश शुल्क अंकित होगा, सहयोगी को दिये जाने वाले प्रवेश श्वेत-पत्र पर नीलाम वर्ष एवं सहयोगी का नाम अंकित होगा. प्रवेश-पत्र पर सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामांकित अधीनस्थ अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील अंकित होगी. प्रवेशित व्यक्ति प्रवेश-पत्र को अपने सीने में बाई ओर लगाएगा तथा नीलाम स्थल में उपस्थित रहने तक उसे भली-भांति लगाए रखेगा.

2. **व्यक्ति जो नीलाम/टेण्डर में भाग लेने से वर्जित होंगे—**

(i) नीलाम में ऐसे ही व्यक्ति बोली लगा सकेंगे, जो पॉपीस्ट्रा लायसेंस प्राप्त करने के लिये योग्यता रखते हों, निम्नांकित व्यक्ति नीलाम में बोली लगाने अथवा निविदा देने के लिये अयोग्य रहेंगे :—

(क) कोई भी व्यक्ति, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो .

(ख) कोई भी व्यक्ति, जो स्वत: अथवा जमानतदार की हैसियत से शासन की आबकारी देयों तथा/अथवा मनोरंजन शुल्क की किसी प्रकार की राशि का बकायादार हो . वर्ष 2000-2001 की अवधि के देशी/विदेशी मदिरा/भांग/ताड़ी दुकान/दुकानों के ऐसे अनुज्ञप्तिधारी जिनके द्वारा उनके ठेके की माह जनवरी, 2001 तक की संपूर्ण देय नीलाम राशि/लायसेन्स फीस न पटाई गई हो .

(ग) कोई भी व्यक्ति, जो पहले कभी पॉपीस्ट्रा का लायसेन्सी रहा हो और लायसेन्सी की हैसियत से उसका आचरण नीलाम करने वाले अधिकारी के मत में संतोषजनक न रहा हो .

(घ) कोई भी व्यक्ति, जो नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रॉपिक सब्सटेन्सेज एक्ट, 1985 तथा उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के उल्लंघन के लिए किसी न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष ठहराया जाकर कारावास की सजा से दंडित किया गया हो .

(ङ) कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम विभाग की काली सूची में हो .

(च) कोई भी व्यक्ति, जिसके बारे में नीलामकर्ता अधिकारी को यह विश्वास हो कि वह बुरे आचरण वाला है .

(छ) कोई भी व्यक्ति, जो स्वत: छत्तीसगढ़ राज्य के किसी पड़ोसी राज्य में समीप के क्षेत्र में उसी प्रकार का ठेका लिये हो अथवा ऐसे ठेकेदार का अभिकर्ता हो .

(ii) कोई भी व्यक्ति जो आबकारी अधिनियम, 1915, पूर्व में प्रभावशील डेन्जरस ड्रग्स एक्ट 1930 पूर्व में प्रभावशील मध्यप्रदेश प्रोहिबिशन एक्ट 1938 पूर्व में प्रभावशील अफीम अधिनियम 1878 या नारकोटिक्स ड्रग्स एंड सायकोट्रोपिक सब्स्टेन्सेज एक्ट 1985 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति की शर्तों के गंभीर उल्लंघन करने का दोषी रहा हो अथवा ऐसे अपराधों के लिये किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया गया हो जो उसे नीलाम में बोली/टेण्डर की कार्यवाही करवाने वाले पदाधिकारी के विचार में अनुज्ञप्तियों का अवांछनीय धारक बना देता है, नीलाम में बोली लगाने के लिये कलेक्टर/जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त या नीलाम करने वाले अधिकारी की सहमति के बिना अधिकृत नहीं होगा.

टिप्पणी—बकाया राशि की पूर्ण अदायगी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त कंडिका (1) (ख) में उल्लिखित शर्त कलेक्टर द्वारा शिथिल की जा सकेगी. काली सूची में से नाम विलोपित किये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त कंडिका (1) (ङ) की शर्त कलेक्टर द्वारा शिथिल की जा सकेगी .

(क) सहमति करार पर हस्ताक्षर करना—प्रत्येक बोलीदार/निविदादाता को निम्नलिखित प्रारुप में सहमति करार पर इस आशय की सहमति

के हस्ताक्षर करने होंगे कि वह नीलाम/निविदा की शर्तों और निर्बन्धनों को स्वेच्छा से स्वीकार करता है :—

पॉपीस्ट्रा के थोक/फुटकर लायसेन्सों के नीलाम/निविदा की शर्तों को नीलाम में बोली लगाने के पूर्व मान्य करने का सहमति करार

फोटो हस्ताक्षर दिनांक सहित
जिला आबकारी अधिकारी/
सहायक आयुक्त आबकारी
के प्रमाणित हस्ताक्षर

मैंने . . . . (बोली लगाने वाले का नाम) पुत्र . . . . पिता का नाम . . . . निवासी (पूरा पता) . . . . धन्धे का स्थान . . . . आयु . . . . (वर्ष में) राष्ट्रीयकृत बैंक के खातेका क्रमांक व बैंक का नाम तथा पता . . . . (बोलीदार स्वयं फर्म/कंपनी अथवा उसके कोई भागीदार/डायरेक्टर आयकरदाता है तो यथास्थिति बोलीदार/फर्म/कंपनी अथवा उसके भागीदार/भागीदारों/डायरेक्टर डायरेक्टरों का/ के स्थायी आयाकरदाता लेखा क्रमांक . . . .) पॉपीस्ट्रा के थोक/फुटकर लायसेन्सों के वर्ष 2001 2002 के लिए नीलाम/निविदा की शर्तें पढ़/सुन ली है तथा अन्यथा समझ ली है और मैं नीलाम/निविदा की शर्तें प्रतिग्रहित करता हूं . अपनी बोली में विचलित होने की दशा में, मैं अपने द्वारा निक्षेप किये गये अग्रिम धन के समर्पहरण के लिये करार करता हूं तथा स्वयं को आबद्ध करता हूं कि ऐसी दशा में पुनः नीलाम/निविदा की कार्यवाही किये जाने की स्थिति में शासन को हुई हानि की प्रतिपूर्ति की रकम मुझसे भू राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी .

हस्ताक्षर . . . .

दिनांक . . . .

टीप—

(1) प्रत्येक बोलीदार/निविदादाता (व्यक्ति/फार्म/कंपनी) द्वारा अपना बैंक खाता क्रमांक उसके द्वारा प्रस्तुत सहमति करार - पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा. उपरोक्त सहमति करार भरकर हस्ताक्षर करने के साथ ही बोलीदार/निविदादाता द्वारा निम्नांकित प्रारूप में इस शपथ-पत्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

(2) बोलीदार अथवा निविदादाता यदि पंजीकृत फर्म/कंपनी है, तो उसके कार्यकारी भागीदार/मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा अधिकृत डायरेक्टर को उपरोक्तानुसार सहमति करार की पूर्ति कर हस्ताक्षर करने होंगे .

(3) बोलीदार द्वारा स्वयं अथवा पंजीकृत फर्म/कंपनी के ..र से बोली लगाने की दशा में बोलीदार स्वयं अथवा फर्म/कंपनी के कोई भागीदार/डायरेक्टर यदि आयकरदाता है, तो संबंधित आयकरदाता का स्थायी आयकर खाता क्रमांक भी देना होगा.

श्री . . . . को पापीस्ट्रा के थोक/फुटकर लायसेन्सों के उल्लेखित नीलाम/निविदा में उनके द्वारा प्रस्तुत/हस्ताक्षरित उक्त सहमति करार के आधार पर सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है .

हस्ताक्षर नीलामकर्त्ता अधिकारी दिनांक सहित

कलेक्टर,

जिला . . . .

शपथ-पत्र

मैं (नाम) . . . .
(पिता का नाम) . . . . निवासी (पता) . . . .
म. नं. . . . . मोहल्ला . . . .
शहर/ग्राम . . . . जिला . . . . शपथपूर्वक सत्यनिष्ठा से कथन करता हूं कि पापीस्ट्रा के थोक/फुटकर विक्रय लायसेन्सों की नीलामी हेतु बोली लगाने/टेण्डर देने के लिये मेरे द्वारा कलेक्टर को प्रस्तुत सहमति करार पत्र में उल्लेखित समस्त तथ्य/विवरण सत्य एवं पूर्ण हैं . उक्त सहमति करार पत्र में उल्लेखित किसी तथ्य/विवरण का सत्यापन कराये जाने पर किसी भी तथ्य/विवरण/बिन्दु के असत्य अथवा अपूर्ण पाये जाने पर कलेक्टर को बोली/लायसेन्स निरस्त करने तथा मेरे द्वारा जमा कराये गये अर्नेस्ट मनी/अग्रिम धन को राजसात करने का अधिकार होगा तथा इसके संबंध में मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी .

हस्ताक्षर . . . .

दिनांक . . . .

(ख) यदि कोई बोलीदार/निविदादाता किसी पंजीकृत फर्म या कंपनी की ओर से बोली लगाना अथवा टेण्डर देना चाहता है तो बोली/टेण्डर लगाने के पूर्व उसे नियमानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :—

(1) संबंधित फर्म/कंपनी का मूल पंजीयन/निगमन प्रमाण-पत्र अथवा उसकी विधिवत् अभिप्रमाणित प्रतिलिपि .

(2) फर्म की डीड ऑफ रजिस्ट्रेशन/कंपनी का मेमोरेण्डम एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की मूल या प्रमाणित प्रतिलिपि.

(3) संबंधित फर्म/कंपनी की ओर से नीलाम में भाग लेने हेतु बोलीदार के पक्ष में निष्पादित/जारी अधिकार-पत्र .

4. **अर्नेस्ट मनी जमा करना**—प्रत्येक बोलीदार निविदादाता को बोली लगाने/निविदा देने के पूर्व पापीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर लायसेन्सों अथवा उनके समूह हेतु वर्ष 2001-2002 के लिए घोषित आरक्षित मूल्य के 12.5 प्रतिशत के मान से अर्नेस्ट मनी की राशि नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा कैश ऑर्डर के रूप में जमा करनी होगी . इस प्रकार जमा की गई अर्नेस्ट मनी के विरुद्ध बोलीदार/निविदादाता 10 गुना राशि की सीमा तक बोली/निविदा दे सकेगा . यदि कोई बोलीदार/निविदादाता जमा अर्नेस्ट मनी के 10 गुने से अधिक की बोली/निविदा देना चाहता है तो उसे उतनी अतिरिक्त धनराशि ऐसी अधिक बोली/निविदा देने के पूर्व जमा करनी पड़ेगी जिससे उसके द्वारा जमा कुल अर्नेस्ट मनी की राशि उसके द्वारा दी जाने वाली निविदा/बोली के 1/10 के समतुल्य अथवा इससे अधिक हो जाये . सफल बोलीदार/निविदादाता द्वारा अर्नेस्ट मनी की जमा की गई राशि नीचे शर्त क्रमांक-8 में उल्लेखित अग्रिम राशि के विरुद्ध वांछित सीमा तक समायोजित की जावेगी अथवा जमा अर्नेस्ट मनी की पूरी राशि असफल बोलीदार को वापस की जावेगी, जिसके लिये उसे रेवेन्यू स्टाम्प लगाकर पावती रसीद देनी होगी .

5. **खिसारे की वसूली तथा अर्नेस्ट मनी का राजसात किया जाना**—उच्चतम बोलीदार/निविदादाता यदि बोली/निविदा की पुष्टि तक अपनी लगाई गई बोली/निविदा पर स्थिर नहीं रहेगा अथवा बोली/निविदा वापिस लेगा या किसी प्रकार से शर्तों का उल्लंघन करेगा तो लायसेन्स/लायसेन्सों को पुन: नीलामी करने अथवा टेण्डर द्वारा लायसेन्स देने पर खिसारा आयेगा अर्थात् शासन को जो हानि होगी, वह उच्चतम बोलीदार/निविदादाता से भू-राजस्व कोबकाया की भांति वसूल की जायेगी . इसके अतिरिक्त किसी भी समय नीलाम/निविदा की शर्तों के उल्लंघन पर उसके द्वारा जमा की गई अर्नेस्ट मनी की राशि अथवा यदि अर्नेस्ट मनी की राशि का समायोजन शर्त क्रमांक-8 के अनुरूप जमा किये जाने वाले अग्रिम धन के विरुद्ध किया गया है तो इस प्रकार समायोजित अर्नेस्ट मनी की राशि भी उसको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् कलेक्टर द्वारा राजसात की जा सकेगी . बोलीदार/निविदादाता द्वारा नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, कैश ऑर्डर के रूप में जमा की गई अन्य कोई राशि भी खिसारे की वसूली के पेटे समायोजित की जायेगी .

6. **आबकारी आयुक्त की स्वीकृति के अधीन नीलामी**—जिन पापीस्ट्रा के थोक व फुटकर लायसेन्सों की बोली वर्ष 2001-2002 के लिए समूह में अथवा पृथक्-पृथक् नीलाम होने पर अथवा टेण्डर आमंत्रित करने पर रुपये 2,50,00,000.00 (रुपये दो करोड़ पचास लाख) से अधिक की होगी, उनके नीलाम/टेण्डर की कार्यवाही संबंधित कलेक्टर द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ की स्वीकृति के अधीन की जायेगी . ऐसे ठेके के संबंध में आबकारी आयुक्त को शक्तियां होगी कि वे नीलाम/टेण्डर की कार्यवाही की स्वीकृति दें अथवा न दें तथा इसके लिए कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा . ऐसे लायसेन्सों के नीलाम/टेण्डर की स्वीकृति आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ द्वारा दी जाने पर ही नीलाम/टेण्डर अंतिम माना जायेगा .

7. **लायसेन्स/लायसेन्सों की अवधि में नीलाम की शर्तों का प्रभावशील रहना**—पापीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर लायसेन्सों की नीलामी की ये सभी शर्तें वर्ष 2001-2002 के लिए तथा वर्ष 2001-2002 के दौरान होने वाले पुन:नीलाम अथवा निविदा की कार्यवाही के संबंध में प्रभावशील रहेंगी.

8. **अग्रिम धन जमा करना**—प्रत्येक सफल बोलीदार अथवा निविदादाता को अपनी उच्चतम बोली का 1/6 भाग नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के कैश ऑर्डर के रूप में नीलाम/निविदा के पश्चात् तुरंत जमा करना होगा . सफल बोलीदार/निविदादाता द्वारा जमा की गई अर्नेस्ट मनी की राशि 1/6 अग्रिम धन की राशि के विरुद्ध अथवा जितनी आवश्यक है उस सीमा तक समायोजन योग्य राशि सफल बोलीदार/निविदादाता, नीलाम समाप्त होने के तत्काल बाद उसके द्वारा दी गई बोली/निविदा के 1/6 भाग (अग्रिम धन) एवं उसके द्वारा जमा कराई गई अर्नेस्ट मनी के अन्तर की राशि को भी नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा बैंक के कैश ऑर्डर के रूप में जमा करेगा . अग्रिम धन की शेष राशि नीलाम के तुरंत पश्चात् जमा न करने की दशा में सफल बोलीदार द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी की राशि कलेक्टर द्वारा राजसात कर ली जायेगी और लायसेन्सों का उसके दायित्व पर पुनर्नीलाम किया जायेगा . इस पुनर्नीलामी के फलस्वरूप शासन को हुई समस्त हानि की वसूली संबंधित बोलीदार से भू-राजस्व की बकाया की भांति की जावेगी . उक्तानुसार लायसेन्स/लायसेन्सों के लिए जमा 1/6 भाग राशि माह फरवरी-मार्च 2002 की लायसेन्स फीस में समायोजित की जावेगी . इसके अतिरिक्त प्रत्येक सफल बोलीदार/निविदादाता को अपनी उच्चतम बोली का 1/12 राशि नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारंटी, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, कैश ऑर्डर के रूप में नीलाम के तीन दिन के भीतर जमा करनी होगी, किन्तु सफल बोलीदार स्वयं चाहे तो उसके द्वारा देय 1/12 भाग राशि राष्ट्रीय बचत-पत्र के रूप में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से कलेक्टर के माध्यम से प्रतिभूति दे सकेगा . इस प्रकार ली जाने वाली उच्चतम बोली के 1/12 भाग की राशि बैंक गारंटी आदि की लायसेन्स शर्तों के उल्लंघन आदि के विरूद्ध जमानत के रूप में रखा जावेगा . 30 जून 2002 तक यह 1/12 भाग की राशि/बैंक गारंटी वापस की जा सकेगी किन्तु लायसेन्स शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में कलेक्टर द्वारा सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् यदि कोई शास्ति अधिरोपित की जावेगी तो उसकी राशि अथवा अन्य बकाया राशि के समायोजन के उपरान्त ही शेष राशि वापसी योग्य होगी . बोलीदार अथवा टेंडरदाता द्वारा जमा की जाने वाली कोई भी राशि चैक द्वारा नहीं ली जाएगी . उपरोक्तानुसार लायसेन्स/लायसेन्सों के समूह के प्रत्येक सफल बोलीदार/निविदादाता को 31 मार्च 2001 या उसके पूर्व माह अप्रेल की लायसेन्स फीस की किश्त जमा करना अनिवार्य होगा . उक्त किश्त जमा होने पर ही उसे लायसेन्स एवं आवश्यक परमिट दिए जायेंगे .

नोट—सफल बोलीदार/निविदादाता का आशय ऐसे बोलीदार/निविदादाता से है, जिसकी बोली/निविदा नीलामी के समय अंतिम की गई हो . चाहे भले ही संबंधित लायसेन्स/लायसेन्सों की नीलामी आबकारी आयुक्त की स्वीकृति के अधीन की गई हो .

9. **अग्रिम धन का राजसात करना**—जो लायसेन्स आबकारी आयुक्त की स्वीकृति के अधीन नीलाम होंगे उनका कोई बोलीदार/निविदादाता यदि नीलाम/निविदा की पुष्टि होने तक अपनी बोली पर स्थिर न रहते हुए बोली वापिस लेगा अथवा कोई भी बोलीदार किसी प्रकार नीलाम की शर्तों का उल्लंघन करेगा तो उसके द्वारा उपरोक्तानुसार लायसेन्स/लायसेन्सों के समूह हेतु जमा की गई उच्चतम/अंतिम बोली की 1/6 भाग तथा 1/12 भाग राशि कलेक्टर द्वारा सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् राजसात की जा सकेगी . इस संबंध में कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा .

10. **लायसेन्स/लायसेन्सों का हस्तान्तरण**—यदि लायसेन्स/लायसेन्सों की अवधि के दौरान किसी लायसेन्स/लायसेन्सों का हस्तान्तरण स्वीकृत किया जाना आवश्यक पाया जायेगा तों लायसेन्स/लायसेन्सों की अवधि की लायसेन्स फीस आदि का भुगतान करने के लिये एवं लायसेन्स की शर्तों का पालन करने के लिए मूल लायसेन्सी (अन्तरणकर्त्ता) तथा यह व्यक्ति जिसके नाम लायसेन्स/लायसेन्सों का बीच में हस्तान्तरण किया जावेगा (अन्तरणग्रहिता) दोनों ही बाध्य रहेंगे.

11. **नीलाम अथवा टेण्डर की कार्यवाही में न लगाई गई बोली स्वीकार न करना**—वर्ष 2001-2002 के लिये किसी ऐसे व्यक्ति की बोली/निविदा जिसने नीलाम के समय अथवा पुनःनीलाम, यदि हुआ हो तो, पुनःनीलाम के समय, नीलाम में बोली/टेण्डर न दिया हो, विचार योग्य नहीं होगी.

12. **पुनर्नीलाम**—

(क) पुनर्नीलाम के लिए वह व्यक्ति ही आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है, जो नीलाम के समय, जिसका वह पुनर्नीलाम चाहता है, उपस्थित रहा हो तथा जो नीलाम में भाग लेने के लिये अपात्र न रहा हो और कलेक्टर द्वारा जिस लायसेन्स/लायसेन्सों की समूह की बोली अंतिम की गई हो, उस लायसेन्स/लायसेन्सों के समूह के लिए उसने बोली लगाई हो.

(ख) पुनर्नीलाम के आवेदन-पत्र नीलाम के तीन दिन के अन्दर कलेक्टर को प्रस्तुत किए जायेंगे. तीन दिन की गणना करने में सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़ दिये जायेंगे. आवेदक को आवेदन-पत्र के साथ नीलाम, जिसका वह पुनर्नीलाम चाहता है, से प्राप्त उच्चतम बोली के 1/3 भाग के बराबर राशि जमा करनी होगी, आवेदक की अर्नेस्ट मनी यदि कोई जमा है तो उसको कम करके बाकी राशि चालान द्वारा कोषालय में जमा कर चालान की प्रति अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक का उतनी ही राशि का बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक का कैश ऑर्डर आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा.

(ग) पुनर्नीलाम के आवेदन-पत्र पर तभी विचार किया जावेगा जबकि आवेदक नीलाम में प्राप्त उच्चतम बोली से कम से कम 10 प्रतिशत अधिक की बोली लगाना चाहता हो, पुनर्नीलाम की तिथि की विज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा जारी की जावेगी, यदि कलेक्टर नीलाम स्थल पर पुनर्नीलामी की घोषणा करते हैं तो कम से कम 5 दिन बाद की तिथि घोषित करेंगे.

(घ) पुनर्नीलाम होने की दशा में यदि आवेदनकर्त्ता पुनर्नीलाम में सम्मिलित होकर बोली नहीं लगाता है तो उसके द्वारा जमा की गई 1/3 भाग राशि राजसात हो जावेगी. उसे आवेदन-पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा कि वह इस शर्त को स्वीकार करता है कि पुनर्नीलाम होने की दशा में वह प्रस्तावित बोली से कम की बोली नहीं लगायेगा और ऐसी बोली लगाने में असफल रहेगा तो उसके द्वारा जमा की गई राशि राजसात हो जावेगी.

(ङ) किसी ऐसे लायसेन्स/लायसेन्सों के समूह के पुनर्नीलाम, जिसके नीलाम/निविदा की स्वीकृति आबकारी आयुक्त की स्वीकृति के अधीन हो, का प्रस्ताव प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा आबकारी आयुक्त को तार द्वारा तत्काल सूचना दी जायेगी कि पुनर्नीलाम के कारण उक्त नीलामी की कार्यवाही स्वीकृत न किया जावे और तदुपरान्त कलेक्टर पुनर्नीलाम की कार्यवाही करेंगे.

(च) किसी लायसेन्स/लायसेन्सों के समूह के पुनर्नीलाम के प्रस्ताव का आवेदन-पत्र केवल एक ही बार मान्य किया जावेगा.

(छ) किसी लायसेन्स/लायसेन्सों के समूह का पुनर्नीलाम होने पर भी उसके प्रथम नीलाम के समय जिस बोलीदार द्वारा उच्चतम बोली लगाई गई होगी वह 15 दिन तक अपनी उस बोली पर कायम रहने के लिए बाध्य होगा.

13. **ठेका अवधि में पुनर्नीलाम करना**—वर्ष 2001-2002 के मध्य किसी थोक एवं फुटकर लायसेन्स/लायसेन्सों के समूह का पुनर्नीलाम करने की स्थिति उत्पन्न होने पर लायसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् कलेक्टर द्वारा कभी भी पुनर्नीलाम किया जा सकेगा. पुनर्नीलाम हेतु सूचना-पत्र पुनर्नीलाम के प्रस्तावित दिनांक से कम से कम 5 दिन पूर्व जारी करना होगा.

14. शर्त क्रमांक-12 व 13 के अधीन निर्धारित पुनर्नीलाम/नीलाम की तिथि की घोषणा यदि नीलाम के दिन नीलाम स्थल पर ही उस दिन की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व नहीं की जाती है तो ऐसे पुनर्नीलाम/नीलाम की सूचना, जिसकी अवधि कम से कम पांच दिन की होगी, समाचार-पत्र में प्रकाशित की जायेगी और सूचना-पत्र का प्रदर्शन संबंधित कलेक्टर तथा सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर किया जाएगा.

15. कलेक्टर ऐसे लायसेन्स/लायसेन्सों के समूह जिसके लिये बोली स्वीकृत करने हेतु वह स्वत: सक्षम है तथा ऐसे लायसेन्स/लायसेन्सों की बोली, जिसे स्वीकृत करने हेतु उक्त शर्त-6 के अनुसार आबकारी आयुक्त सक्षम है को अंतिम किये जाने के उपरान्त भी राजस्व के हित में उन्हें पुनर्नीलाम कराने के आदेश आबकारी आयुक्त दे सकेंगे .

16. पापीस्ट्रा के सभी थोक/फुटकर लायसेन्स नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रॉपिक सब्सटेन्सेज एक्ट, 1985 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रॉपिक सब्सटेन्सेज (मध्यप्रदेश) रूल्स, 1985 एवं समय-समय पर संशोधित किए गए नियमों और समय-समय पर राज्य शासन, आबकारी आयुक्त, कलेक्टर द्वारा पारित आदेशों/अनुदेशों के अध्यधीन रहेंगे .

सही/-
(एच. एल. प्रजापति)
आबकारी आयुक्त,
छत्तीसगढ़, रायपुर.

वर्ष 2001-2002 के लिए सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में आबकारी नीलाम की तिथियां एवं नीलाम का स्थल

समूह (1)	दिनांक-दिन (2)	जिले का नाम (3)	नीलाम स्थल (4)
प्रथम समूह	15.3.2001 गुरुवार	1. राजनांदगांव 2. जशपुर	कलेक्टोरेट, राजनांदगांव कलेक्टोरेट, जशपुर
द्वितीय समूह	16.3.2001 शुक्रवार	1. दुर्ग 2. दंतेवाड़ा	कलेक्टोरेट, दुर्ग कलेक्टोरेट, दंतेवाड़ा
तृतीय समूह	19.3.2001 सोमवार	1. बिलासपुर 2. कवर्धा	कलेक्टोरेट, बिलासपुर कलेक्टोरेट, कवर्धा
चतुर्थ समूह	20.3.2001 मंगलवार	1. धमतरी 2. कोरिया	कलेक्टोरेट, धमतरी कलेक्टोरेट, कोरिया
पंचम समूह	21.3.2001 बुधवार	1. कोरबा 2. कांकेर	कलेक्टोरेट, कोरबा कलेक्टोरेट, कांकेर
षष्ठम समूह	23.3.2001 शुक्रवार	1. रायपुर 2. सरगुजा	कलेक्टोरेट, रायपुर कलेक्टोरेट, सरगुजा
सप्तम समूह	24.3.2001 शनिवार	1. महासमुन्द 2. रायगढ़	कलेक्टोरेट, महासमुन्द कलेक्टोरेट, रायगढ़
अष्टम समूह	25.3.2001 रविवार	1. जांजगीर चांपा 2. बस्तर	जिला आबकारी कार्यालय, जांजगीर चांपा. कलेक्टोरेट, बस्तर

सही/-
(एच. एल. प्रजापति)
आबकारी आयुक्त,
छत्तीसगढ़, रायपुर.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.